पत्रांक : 837/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0कर/2016–17/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2016

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर(कर निर्धारण) वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।

//परिपत्र//

मुख्यालय के पत्रांक 4422/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून/ दिनांक 07.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 3 (क) के उपनियम (एक) के अन्तर्गत होटल स्वामी द्वारा पंजीयन आवेदन पत्र दाखिल करने के क्रम में उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 3 (क) के उपनियम (दस)के खण्ड (क) के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में करदाता की पंजीयन संख्या के रूप में अभिज्ञान संख्या (टैक्स पेयर्स आईडेन्टिफिकेशन नम्बर–टी0आई0एन0) आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे होटल स्वामी जिन्हें उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 3(क) के उपनियम (दस) के खण्ड (ग) में दिये गये प्राविधान के अनुक्रम में ऑनलाईन व्यवस्था होने तक पंजीयन संख्या आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्रांक 2466/आयु0क0उत्तरा0/सुख–साधन कर अनु0/11–12/देहरादून दिनांक 08.09.2011 द्वारा विहित व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीयन संख्या जारी की गयी थी, हेतु भी पंजीयन संख्या के रूप में अभिज्ञान संख्या (टैक्स पेयर्स आईडेन्टिफिकेशन नम्बर–टी0आई0एन0) आवंटित की जानी है।

अतः समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0) वाणिज्य कर को निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे सभी होटल स्वामी, जिन्हें मुख्यालय के उक्त पत्रांक 2466 दिनांक 08.09.2011 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में पंजीयन संख्या मैन्यूअली(Manually) जारी की गयी थी, को **दिनांक 15.06.2016 तक** पंजीयन संख्या के रूप में अभिज्ञान संख्या (टैक्स पेयर्स आईडेन्टिफिकेशन नम्बर–टी0आई0एन0) आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

इस हेतु कार्यालय स्तर पर कार्यवाही करते हुए, सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रत्येक ऐसे मामलों में विभागीय वैबसाईट http://comtax.uk.gov.in पर उपलब्ध e-registration Link पर जाकर होटल स्वामी द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी समस्त details भरी जायेगी जिसके अन्तर्गत मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 अनिवार्य रूप से fill की जायेगी एवं अन्य ऐसे अनिवार्य विवरण जो कार्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं है उन्हें सम्बन्धित होटल स्वामी से प्राप्त कर भरा जायेगा। समस्त विवरण पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त पंजीयन आवेदन पत्र को Finally Submit करते हुए होटल स्वामी को पंजीयन संख्या अर्थात् टिन आवंटित की जायेगी। टिन आवंटित किये जाने के उपरान्त होटल स्वामी को पंजीयन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल नम्बर पर इस विषय में सूचित किये जाने के पश्चात् अगले कार्य दिवस तक पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षरयुक्त पंजीयन प्रमाण पत्र(मूल रूप में) घोषित व्यापार स्थल पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा तथा इसकी पदनाम मोहर सहित हस्ताक्षरयुक्त एक प्रति भी स्कैन कर विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी। संदर्भित प्रपत्र विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किए जाने के उपरान्त डीलर लॉग–इन में भी प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट आउट सम्बन्धित व्यापारी द्वारा लिया जा सकेगा। कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से यह प्रमाण पत्र होटल स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि को नहीं दिया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(पीयूष कुमार)
अपर आयुक्त(विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

Aud_(Vidhi_L)

पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।

4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर–निर्धारण) को इस सम्बन्ध में अपेक्षानुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें तथाउक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अन्य अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करायें।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

6– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

7– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।

8– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

9– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

अपर आयुक्त(विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।